राजस्थान सरकार
वित्त (राजस्व) विभाग

क्रमांक प.3(9)/वित्त/राजस्व/2015 जयपुर दिनांकः—

13 MAY 2016

राजस्थान एन्वायरमेन्ट एण्ड हैल्थ एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड की ग्यारहवीं बैठक दिनांक 21.04.2016 का कार्यवाही विवरण

राजस्थान एन्वायरमेन्ट एण्ड हैल्थ एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड की ग्यारहवीं बैठक दिनांक 21.04.2016 को सांय 12:30 बजे कमेटी रूम नम्बर—1, शासन सचिवालय जयपुर में प्रमुख शासन सचिव, वित्त की अध्यक्षता में आयोजित की गई जिसमें बोर्ड के निम्न सदस्यों ने भाग लियाः—

1. श्री दीपक उप्रेती, प्रमुख शासन सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग।
2. श्री आर.के. ग्रोवर, शासन सचिव, पर्यावरण विभाग।
3. प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा के स्थान पर डॉ0 बी.आर. मीना, निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग उपस्थित हुए।
4. श्री प्रो0 के.सी. शर्मा, सेवानिवृत्त प्रोफेसर राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय, किशनगढ—अजमेर।

बैठक में निम्न अधिकारी विशेष आमंत्रित के रूप में उपस्थित हुयेः—

1. श्री प्रवीण गुप्ता, शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग।
2. श्री सुरेश चन्द्र दिनकर, शासन सचिव, वित्त (व्यय) विभाग।
3. श्री सिद्वार्थ महाजन, विशिष्ट शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग।

बोर्ड के उक्त सदस्यों के अतिरिक्त निम्न अधिकारी भी उपस्थित रहेः—

1. श्री कन्हैया लाल स्वामी, संयुक्त शासन सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग।
2. श्री जी0एल0 राव, मुख्य अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग।
3. श्री डी0एस0 मारू, निदेशक खान विभाग उदयपुर।
4. श्री ए0एल0 शेख, अतिरिक्त निदेशक, खान विभाग उदयपुर।
5. डॉ0 दिलीप कुमार, स्टेट टी.बी ऑफिसर।
6. श्री अम्बरीश शर्मा, क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (सी)।
7. श्री हरि मोहन शर्मा, वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी वित्त विभाग।
8. डॉ टी.आर. अग्रवाल, वित्तीय सलाहकार, खान एवं भू विज्ञान विभाग।
9. श्री उषस्पति त्रिपाठी, जीएम.आर.एस.एल.डी.सी।

बैठक में विचार–विर्मश उपरान्त निम्नानुसार निर्णय लिये गयेः–

1. बोर्ड की पूर्व बैठक के निर्णयों का अनुमोदनः– बोर्ड की दसवीं बैठक दिनांक 18.08.2015 में लिये गये निर्णयों की पुष्टि की गई।

2. रिहेब फण्ड के अन्तर्गत आय–व्यय की समीक्षा।

क्र.सं.	वर्ष	रिहेब सेस से प्राप्त आय	व्यय की गई राशि
1.	2008–09	53.77	–
2.	2009–10	47.08	–
3.	2010–11	61.85	–
4.	2011–12	66.84	20.8635
5.	2012–13	47.30	20.4583
6.	2013–14	58.60	13.6469
7.	2014–15	65.92	7.1200
8.	2015–16	98.98	14.8865
	योग	500.34	76.9752

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि अब तक कुल 500.34 करोड़ रूपये प्राप्त हुए हैं जिसमें से 76.9752 करोड़ रूपये व्यय किये जा चुके तथा 423.3648 करोड रूपये उपलब्ध है।

निर्णयः– अब तक जारी की गई स्वीकृतियॉ एवं उनके विरूद्ध व्यय के उपयोगिता प्रमाण पत्रों की प्रतियॉ 15 दिवस में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही– खान विभाग)

3. National Level Institute of Oncology and Biomedical Sciences, Jaipur की स्थापना/निर्माण के लिये रिहेब फण्ड से राशि स्वीकृत किये जाने के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा की गई।

निर्णयः– पर्यावरण एवं स्वास्थ्य उपकर की निधि का उपयोग राज्य के खनन क्षेत्रों में पर्यावरण एवं स्वास्थ्य संबंधी परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु किया जाता है। अतः राशि स्वीकृत किया जाना सम्भव नहीं है।

4. प्रस्तावः– खान एवं भू–विज्ञान के बजट शीर्ष 2853–02–797–(01)–[00]–82 निधि को अन्तरण (आयोजना भिन्न से) राजस्थान एन्वायरमेन्ट एण्ड हैल्थ सेस फण्ड के बजट मद 8229–00–200–(07) में वर्ष 2015–16 में हस्तान्तरित

राशि रूपये 11427.03 लाख का अनुमोदन किये जाने हेतु प्राप्त हुआ। विशिष्ट शासन सचिव (बजट) ने अवगत कराया कि वित्त वर्ष 2016–17 के लिए सड़कों के लिए 60 करोड़, चिकित्सा सेवा के लिए 50 करोड़ व वन एवं पर्यावरण हेतु 60 करोड़ रूपये, कुल 170 करोड़ रूपये का बजट आवंटित किया गया है।

निर्णयः– खान एवं भू–विज्ञान के बजट शीर्ष 2853–02–797–(01)–[00]–82 निधि को अन्तरण (आयोजना भिन्न से) राजस्थान एन्वायरमेन्ट एण्ड हैल्थ सेस फण्ड के बजट मद 8229–00–200–(07) में वर्ष 2015–16 में हस्तान्तरित राशि रूपये 11427.03 लाख का अनुमोदन किया गया।

5. डी.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 9267/2015 में माननीय उच्च न्यायालय, राजस्थान, जयपुर की खण्डपीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.08.2015 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, जयपुर के माननीय सदस्य को फील्ड सर्वे हेतु निर्देशित किये जाने के क्रम में आयोग द्वारा रिहेब फण्ड से 25.00 लाख रूपये उपलब्ध कराये जाने के प्रस्ताव पर चर्चा की गई।

निर्णयः– राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, के प्रस्ताव को खान विभाग परीक्षण कर पत्रावली पर वित्त विभाग को अग्रिम कार्यवाही हेतु भिज़वाये।

(कार्यवाही– खान विभाग)

6. सिलिकोसिस पीड़ित/मृत खान मजदूर अपने निवास जिले के अतिरिक्त अन्य किसी जिले में कार्य किये जाने पर उसे/मृतक आश्रितों को किस जिले द्वारा सहायता राशि उपलब्ध कराई जावेगी, के संबंध में चर्चा की गई।

निर्णयः– सिलिकोसिस पीड़ित/मृतक आश्रित ऐसे प्रकरणों में अपने निवास के जिलें के जिला कलेक्टर को आवेदन करें। उपलब्ध कराई गई सहायता राशि को जिला कलेक्टर द्वारा जिला पोर्टल पर भी डिस्प्ले करा दिया जावे।

(कार्यवाही– खान विभाग)

7. सिलिकोसिस पीड़ित खान मजदूर की अपने घर पर मृत्यु हो जाने से उसके लिये सहायता राशि उपलब्ध कराये जाने के संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में चर्चा की गई।

निर्णयः– सिलिकोसिस पीड़ित खान मजदूर की अपने घर पर मृत्यु हो जाने पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के स्थान पर चिकित्सक से प्रमाण पत्र प्राप्त कर संलग्न कर दिया जावें कि सिलिकोसिस पीड़ित खान श्रमिक की अपने घर पर मृत्यु हो जाने से पोस्टमार्टम नहीं कराया जा सका परन्तु चिकित्सकीय उपचार के रिकॉर्ड के अनुसार मृतक सिलिकोसिस बीमारी से ग्रसित था। इसके आधार पर मृतक आश्रित

को सहायता राशि उपलब्ध कराई जा सकेगी। निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य इस हेतु चैक लिस्ट तैयार कर समस्त जिला कलेक्टर्स को प्रेषित करेंगे।

(कार्यवाही– चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग)

8. अजमेर, भरतपुर, भीलवाड़ा जिलो को रिहेब फण्ड के तहत कमशः 1.00 लाख, 62.00 लाख एवं 46.00 लाख रूपये की राशि स्वीकृत कर जिला कलक्टर को आहरण–वितरण अधिकारी घोषित किये जाने के संबंध में कार्योत्तर स्वीकृति के क्रम में चर्चा की गई।

खान विभाग के सिलिकोसिस पीडित/मृतक के विधिक आश्रितों के रिहेब सैस फण्ड से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के प्रकरणों पर स्वीकृति पत्रावली कमांक प.12(18)खान/ग्रुप–1/2014/पार्ट दिनांक 09.12.2015 द्वारा दी गई थी जिनको कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया।

क्र. सं.	जिला	वांछित राशि (रू0 लाखों में)
1.	अजमेर	1.00
2.	भरतपुर	62.00
3.	भीलवाडा	46.00

निर्णयः– बोर्ड द्वारा कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

9. उदयपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इन्डस्ट्रीज के पत्र दिनांक 26.09.2015 जिसके अन्तर्गत पर्यावरण एवं स्वास्थ्य उपकर के संबंध में जारी अधिसूचना दिनांक 06.03.2013 को वापिस लिये जाने/पर्यावरण एवं स्वास्थ्य उपकर को हटाये जाने के प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया।

निर्णयः– राज्य के सभी जिलों में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउन्डेशन ट्रस्ट की स्थापना बाबत् अधिसूचना प्रक्रियाधीन है। खान विभाग द्वारा यथासमय पर्यावरण एवं स्वास्थ्य उपकर के बारे में निर्णय हेतु पत्रावली प्रस्तुत की जायेगी।

(कार्यवाही–खान विभाग)

10. श्रम एवं नियोजन विभाग द्वारा खानों से बाहर पत्थर तोड़ने, काटने, पीसने व तरासने में लगे निर्माण श्रमिकों के सिलिकोसस पीड़ित होने तथा सिलिकोसिस के कारण मृत्यु होने के मामलों में हिताधिकारियों के लिये सहायता योजना के प्रयोजनार्थ रिहेब फण्ड से 5 करोड़ के प्रस्ताव पर चर्चा की गई।

निर्णयः– भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण अधिनियम के तहत वेलफेयर सेस से सिलिकोसिस पीड़ित निर्माण श्रमिकों को सहायता राशि उपलब्ध कराई जावें। रिहैब फण्ड से सहायता राशि प्रदान किया जाना सम्भव नहीं है।

11. ILO एक्सरे प्लेट, बुकलेट, डी.वी.डी. एम.एम.यू. के क्रय हेतु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को तथा ILO मापदण्डानसुार प्रशिक्षण दिलवाये जानें के प्रस्ताव पर चर्चा की गई।

निर्णयः–

- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन पूर्व में ही 10 एम.एम.यू. उपलब्ध है। इन एम.एम.यू. को उन जिलों/ब्लॉक्स में संचालित किया जाये जहां कि सिलिकोसिस बीमारी के अधिकतम प्रकरण रिपोर्ट किये गये हैं। इन एम.एम.यू. के आर्वतक व्यय (**Recurring Expenditure**) चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 में 1.2 करोड़ रूपये की राशि स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया। अभी तक वर्तमान में एम.एम.यू. का भी **optimum** उपयोग नहीं हो पाया है। अतः नये एम.एम.यू. के क्रय का प्रस्ताव अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।
- **ILO** एक्सरे प्लेट, बुकलेट, डी.वी.डी. क्रय हेतु राशि रूपये 5.70 लाख स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।
- **ILO** मापदण्डानुसार चिकित्सकों के प्रशिक्षण हेतु राशि रूपये 20 लाख स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

(कार्यवाही–खान विभाग एवं चिकित्सा–स्वास्थ्य विभाग)

12. <u>जिला न्यूमोकोनिओसिस बोर्ड से जारी प्रमाण पत्र के आधार पर सिलिकोसिस पीडित/मृतक आश्रितों को आर्थिक सहायता प्रदान करना।</u>

राजस्थान एनवायरमेन्ट एण्ड हैल्थ एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड (रीहेब) की छठी बैठक दिनांक 30.5.2013 को लिये गये निर्णय परिपेक्ष में केवल मेडिकल कॉलेज से जारी प्रमाण पत्र की आधार पर ही सिलिकोसिस पीडित/मृतक आश्रितों आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया था । चूंकि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा राज्य के सभी जिलों में न्यूमोकोनिओसिस बोर्ड का गठन करने के निर्देश जारी किये है। अतः जिलों में गठित न्यूमोकोनिओसिस बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर भी सिलिकोसिस पीडित/मृतक आश्रितों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की निर्णय लिये जाने पर विचार–विमर्श किया गया।

निर्णयः– जिलों में गठित न्यूमोकोनिओसिस बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर भी सिलिकोसिस पीडित/मृतक आश्रितों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। जिला न्यूमोकोनिओसिस बोर्ड के द्वारा जारी प्रमाण पत्र पर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य से प्रति हस्ताक्षर करवाने की आवश्यकता नहीं है।

जिला न्यूमोकोनिओसिस बोर्ड के निर्णय पर विवाद होने पर जिले में पदस्थापित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी की अध्यक्षता में विशेषज्ञों को शामिल कर गठित वृहद् पीठ को अपील की जा सकेगी। इस संबंध में चिकित्सा विभाग पृथक से आदेश जारी करेगा।

(कार्यवाही– चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग)

13. <u>सिलिकोसिस पीडित/मृतक के आश्रितों को आर्थिक सहायता हेतु अग्रिम राशि की स्वीकृति</u>

रीहेब की 10वीं बैठक की बिन्दु संख्या 8 (C) में सिलिकोसिस पीडित/मृतक के आश्रितों को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु रीहेब फण्ड से जोधपुर व करौली जिलों को 1.00–1.00 करोड, बून्दी जिले के लिए 50.00 लाख, उदयपुर, धौलपुर, नागौर, बाडमेर, सीकर, सवाईमाधोपुर, जयपुर एवं दौसा जिलों को 25.00 – 25.00 लाख रूपये अग्रिम दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई ।

निदेशालय, खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर से सिलिकोसिस पीडित खान श्रमिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु भीलवाडा जिले को रू. 84.00 लाख, जालौर जिले के लिए 61.00 लाख, अजमेर जिले को 57.00 लाख, भरतपुर जिले को 26.00, बून्दी जिले को 40.00 लाख, करौली जिले को 251.00 लाख, नागौर जिले को 20.00 स्वीकृत करने का प्रस्ताव प्राप्त हुए है ।

खान विभाग का मत है कि सिलिकोसिस पीडित/मृतक आश्रितों को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु राज्य के कुल 33 जिलों में जिला करौली के अतिरिक्त अन्य सभी जिलों को 1.00–1.00 करोड रूपये रीहेब सेस फण्ड से अग्रिम स्वीकृत किया जावे । करौली जिले के सिलिकोसिस पीडित/मृतकों की अधिक संख्या को ध्यान में रखते हुए करौली जिले को 4.00 करोड रूपये अग्रिम स्वीकृत किया जावे। इस प्रकार राज्य के कुल 33 जिलों के सिलिकोसिस पीडित/मृतक आश्रितों को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु रीहेब सेस फण्ड से कुल रू. 36.00 करोड अग्रिम दिया जाना प्रस्तावित किया गया ।

निर्णयः– सिलिकोसिस पीडित/मृतक आश्रितों को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु निम्नानुसार अग्रिम बजट आवंटन का निर्णय लिया गयाः–

क्र. सं.	जिला	रिहैब फण्ड से अग्रिम बजट आवंटन (राशि रूपये करोड़ में)
1.	करौली	4.00
2.	भीलवाड़ा	1.50
3.	अन्य 31 जिलें (प्रत्येक जिले को 1.00–1.00 करोड रूपये)	31.00

(कार्यवाही–खान विभाग)

14. सड़कों संबंधी प्रस्ताव

खांन क्षेत्रों में सुगम परिवहन एवं पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से नई सड़कों के निर्माण /नवीनीकरण हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग के तखमीना एवं एस्टीमेट के आधार पर निम्नांकित सड़कों का निर्माण /नवीनीकरण हेतु निम्नानुसार राशि रीहेब सैस फण्ड से स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया।

क्र. सं.	नाम कार्यालय	जिला	सडक का नाम	दूरी (किलो मीटर)	प्रस्तावित निर्माण राशि (लाखों में)
1.	सहायक खनि अभियन्ता, बालेसर	जोधपुर (ब्लॉक बालेसर)	NH-114 से सोमानाडा	1.60	182.74
2.	सहायक खनि अभियन्ता, बालेसर	जोधपुर (ब्लॉक बालेसर)	NH-114 से अमृत नगर से डेरडी	7.00	274.82
3.	खनि अभियन्ता, रामगंजमण्डी	कोटा	SH – 9 ए से जयदीप माइन्स चेचट तक	1.00	254.80
4.	खनि अभियन्ता, बांसवाडा	बांसवाडा	शिव मन्दिर (त्रिपुरा सुन्दरी मोड) से रूहारो (गांव बांसवाडा, गढी तहसील की सीमा	4.50	559.55
5.	खनि अभियन्ता, बांसवाडा	बांसवाडा	खननपट्टा त्रिपुरा मार्बल एण्ड ग्रेनाईट (खनन पट्टा 66) से मुख्य सडक तक	1.00	126.94
6.	खनि अभियन्ता, बांसवाडा	बांसवाडा	खननपट्टा गोविन्द प्रसाद गुप्ता (खनन पट्टा 07) से मुख्य सडक तक	0.50	64.63
7.	खनि अभियन्ता, उदयपुर	उदयपुर	खेमली से खाम की मादडी	8.00	490.00
8.	खनि अभियन्ता, बाडमेर	बाडमेर	धोरीमन्ना से धारीमन्ना भाखरी तक	2.50	145.00
9.	खनि अभियन्ता, बाडमेर	बाडमेर	NH-15 कि.मी. 202 से मांगता भाखरी	3.00	165.00
10.	सहायक खनि अभियन्ता, चुरू	चुरू	बालोरा से खनन क्षेत्र माताजी का मन्दिर	4.00	146.49
11.	सहायक खनि अभियन्ता, चुरू	चुरू	बस स्टेण्ड मानपुरा से मानपुरा खनन क्षेत्र तक पहुचने वाली पुरानी रोड से आगे तक	2.00	45.09
12.	सहायक खनि अभियन्ता, चुरू	चुरू	मानपुरा खनन क्षेत्र तक पहुचने वाली पुरानी रोड कि.मी. 2.00 से आगे 1.00 कि.मी. तक	1.00	47.03
13.	सहायक खनि अभियन्ता, चुरू	चुरू	डूगरास आथुना से खनन क्षेत्र बालोरा तक	4.00	141.27
14.	सहायक खनि अभियन्ता, चुरू	चुरू	NH–11 से बीरमसर पहाडी तक	2.00	130.42
कुल योग				42.10	2773.78

निर्णयः— मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग को निर्देश दिये कि प्रस्ताव विस्तृत औचित्य के साथ निर्णय हेतु खान विभाग के माध्यम से पत्रावली वित्त विभाग को प्रस्तुत करें।

(कार्यवाही—खान विभाग)

15. डस्ट मास्क क्रय करने हेतु राशि की स्वीकृत

रीहेब की नवीं बैठक दिनांक 23.12.2014 की कार्यवाही विवरण की बिन्दु संख्या 2—II—अ में लिये गये निर्णय में सेण्डस्टोन खनन क्षेत्रों में कार्यरत खनन श्रमिकों को धूल/वायु प्रदूषण बचाव हेतु डस्ट मास्क क्रय करने हेतु राशि रूपये 50.00 लाख रीहेब सेस फण्ड से स्वीकृत करने की सहमति प्रदान की गई । खान विभाग द्वारा राशि स्वीकृत करने पर निदेशालय खान एवं भूविज्ञान विभाग द्वारा डस्ट मास्क खरीदना प्रकियाधीन है । डस्ट मास्क का उपयोग लम्बी अवधि तक नहीं किया जा कर पुनः नये डस्ट मास्क दिये जाने होते है । अतः निदेशालय खान एवं भूविज्ञान विभाग ने 4 लाख डस्ट मास्क खरीदने हेतु 1.00 करोड रूपये और स्वीकृत करने की सहमति हेतु प्रस्ताव रीहेब की बैठक में रखने का अनुरोध किया । अतः निदेशालय खान एवं भूविज्ञान विभाग प्रस्तावानुसार डस्क मास्क खरीदने हेतु रीहेब सेस फण्ड से 1.00 करोड रूपये स्वीकृत करने की सहमति हेतु प्रस्तावित किया गया।

निर्णयः— डस्ट मास्क क्रय करने के संबंध में निर्णय लिया गया कि पूर्व में स्वीकृत एवं वितरण से शेष डस्ट मास्कं की उपादेयता के बाद नये डस्ट मास्क क्रय करने पर निर्णय लिया जायेगा।

(कार्यवाही—चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग)

16. सिलिकोसिस पीडितों/मृतकों के आश्रितों को दोहरे भुगतान पर रोक

सिलिकोसिस पीडितों को दोहरा भुगतान रोकने हेतु भुगतान प्रकिया में आधार कार्ड/भामाशाह कार्ड के नम्बर को जोडा जाना प्रस्तावित किया गया ।

निर्णयः— सिलिकोसिस पीडितों को दोहरा भुगतान रोकने हेतु भुगतान प्रकिया में आधार कार्ड/भामाशाह कार्ड के नम्बर को जोडा जाने का निर्णय लिया गया। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग से समन्वय कर खान विभाग भुगतान प्रकिया में आधार कार्ड/भामाशाह कार्ड के नम्बर को जोडा जाना सुनिश्चित करावें।

(कार्यवाही—खान विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग)

17. <u>सिलिकोसिस पर विशेष प्रतिवेदन पर विचार विमर्श</u>

डा0 एम.के देवराजन, सदस्य, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के सिलिकोसिस पर विशेष प्रतिवेदन दिनांक 03.12.2014 के 59 बिन्दुओं पर खान एवं अन्य संबंधित विभागों के कियान्विति रिपोर्ट पर डा0 देवराजन द्वारा दी गई सुझावों पर विचार–विमर्श किया गया।

निर्णयः–

- जिला न्युमोकोनिओसिस बोर्ड को सिलिकोसिस पीडितों को प्रमाण–पत्र देने हेतु अधिकृत किये जाने का निर्णय बिन्दू संख्या 12 पर लिया गया।

- आई.एल.ओ. मापदण्ड अनुसार चिकित्सों हेतु प्रशिक्षण के लिये बिन्दू संख्या 11 पर निर्णय लिया गया।

- समिति में वर्तमान में 3 विशेषज्ञ राज्य सरकार द्वारा मनोनीत है जिनका कार्यकाल 3 वर्ष का है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई विशेषज्ञ को आवश्यकतानुसार विशेष रूप से आमंत्रित किया जा सकता है। बैठक में 2 एनजीओ व श्री देवराजन सदस्य, राज्य मानव अधिकार को विशेष रूप से आमन्त्रित किये जाने का निर्णय लिया गया।

- रिहैब के 9 वीं बैठक दिनांक 23.12.2014 के कार्यवाही विवरण के बिन्दु संख्या 10 पर यह निर्णय लिया गया था कि दिनांक 01.06.2013 के पूर्व के सिलिकोसिस पीड़ित के कितने प्रकरण बकाया है उनकी सूचना खान विभाग, वित्त विभाग को उपलब्ध कराये ताकि ऐसे प्रकरणों पर अंतिम निर्णय लिया जाकर अनुग्रह सहायता राशि दिये जाने पर विचार किया जा सके। उक्त निर्णय में आंशिक संशोधन करते हुये अब यह निर्णित किया जाता है कि खान विभाग अपने स्तर पर उक्त सूचना प्राप्त कर भुगतान की कार्यवाही हेतु जिला कलक्टरों को निर्देशित करें एवं रिहैब के आगामी बैठक में कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त कर लेवें।

(कार्यवाही – खान विभाग)

18. <u>पर्यावरण एवं स्वास्थ्य उपकर कोष से निर्धारित उद्देश्यों के अनुसार व्यय की मार्गदर्शिका का निर्माण</u>

राजस्थान एनवायरमेंट एण्ड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन बोर्ड (रिहैब) की दसवीं बैठक में निर्णय लिया गया था कि मार्गदर्शिका में सिलिकोसिस रोगियों के भुगतान की प्रकिया के साथ–साथ पर्यावरण एवं स्वास्थ्य उपकर नियम–2008 के तहत जारी होने वाली अन्य स्वीकृतियों जैसे खान, चिकित्सा, सड़क, पर्यावरण, वृक्षारोपण आदि के बारे में दिशानिर्देशों का समावेश करते हुये व्यापक मार्गदर्शिका का प्रारूप 1 माह की अवधि में तैयार किया जावें। मार्गदर्शिका के प्रारूप को सभी संबंधित को

भिजवाया जाकर 15 दिवस में सुझाव आमंत्रित किये जावें तथा आगामी बोर्ड बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जावें। मार्गदर्शिका अभी तक तैयार नहीं की जा सकी है।

निर्णयः– प्रमुख शासन सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग की अध्यक्षता में शासन सचिव, वित्त (व्यय), सभी सम्बंधित विभाग एवं सदस्य राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के सहयोग से मार्गदर्शिका का प्रारूप तैयार कर 15 दिवस में प्रस्तुत करें। मार्गदर्शिका राजस्थान पर्यावरण एवं स्वास्थ्य उपकर नियमों के अनुरूप तैयार किया जावें।

(कार्यवाही–खान विभाग)

19. <u>कार्यकारी समिति का गठन</u>

प्रमुख शासन सचिव, खान विभाग की अध्यक्षता में एक कार्यकारी समिति के गठन करने का निर्णय लिया। जिसमें सभी सम्बंधित विभागों के निदेशक स्तर के अधिकारी सदस्य होंगे। कार्यकारी समिति की बैठक में लिये गये निर्णयों को अनुमोदन हेतु आगामी रिहेब बैठकों में प्रस्तुत किया जायेगा।

(कार्यवाही–खान विभाग)

20. इसके अतिरिक्त निम्न बिन्दुओं पर चर्चा की व निम्नानुसार निर्देश जारी किये गएः–

1. "निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने Occupational Disease हेतु Special Institute का प्रस्ताव रखा जिस पर निर्णय लिया कि निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग देश में वर्तमान में संचालित ऐसे संस्थानों का अध्ययन कर, यदि आवश्यकता हो तो प्रस्ताव खान विभाग के माध्यम से वित्त विभाग को भिजवाये।
2. सिलिकोसिस बीमारी के उपचार एवं सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का पंचायतों के माध्यम से भी प्रचार–प्रसार किया जाये।

(कार्यवाही–चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग)

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

3/5/16

(एजाज नबी खान)
संयुक्त शासन सचिव वित्त (राजस्व)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग।
2. निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग।
3. प्रमुख शासन सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग।
4. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
5. शासन सचिव, पर्यावरण विभाग।
6. शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग।
7. विशिष्ट शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग।
8. विशिष्ट शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
9. श्री भेराराम चौधरी (सियोल), विधायक एवं संसदीय सचिव, 21 विधायकपुरी जयपुर।
10. प्रोफेसर एण्ड हैड डिपार्टमेन्ट ऑफ एन्वायॅरमेन्टल सांईन्स एण्ड डीन स्कूल ऑफ अर्थ सांईन्स, सेन्ट्रल युनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, एन.एच.8, बान्दरसिन्द्री, किशनगढ़, अजमेंर–308501।
11. श्री घनश्याम सिंह कृष्णावत, चुण्डा पैलेस, 1– हरिदास जी की मगरी, उदयपुर।
12. शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग।
13. शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन विभाग।
14. शासन सचिव, वित्त (व्यय) विभाग।
15. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–5) विभाग।
16. संयुक्त शासन सचिव, खान विभाग।
17. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
18. निदेशक, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर –313001
19. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
20. अतिरिक्त निदेशक (पर्यावरण एवं विकास) निदेशालय, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर –313001
21. Managing Director Rajasthan Skill & Livelihoods Development Corporation, J-8-4 EMI Campus, Jhalana Institutional Area, Jhalana Dungari, Jaipur.
22. Dy. Director of Mines Safety, Anna Sagar, Link Road, Ajmer.
23. Dy. Chief Labour Commisssioner, श्रम सदन, हरिभाउ उपाध्याय नगर (विस्तार) पुष्कर रोड़, अजमेर।
24. नोडल अधिकारी (वित्तीय सलाहकार), निदेशालय खान विभाग, उदयपुर।

3/5/16

संयुक्त शासन सचिव वित्त (राजस्व)